

16
12-12-09
14-12-09

Sarital
18-12-09
Encl-17

19.12.09
23.12

Reg. No.	18420
File No.	3669
Serial No.	

request-98

23/12/09

u-2-10

Scan by team M.I.
Mustafa, J. on 16.2.10

From
Shivani Verma
Addl. Civil Judge
Court No.-02
Aligarh

To,
The Registrar General
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad

Through
The District Judge
Aligarh

655
15-12-09

Sir,
I have to submit that I have purchased a new Hyundai i10 Car from Brij Hyundai Pvt. Ltd., 6th K.M. Bhukrawali, G.T. Road Aligarh, while I was undergoing training. I am sending the information in compliance of C.L. No. 25/Admin(A) July 13, 1988.

17
4133
S.A. M/A

- 1- I have joined the services as Judicial officer on 11-05-2009.
- 2- My present gross salary is Rs. 23090 per month and carry home salary is Rs. 22970 per month.
- 3- I have purchased a new i10 Hyundai car and its price is Rs. 3,80,000/- out of this amount, Rs. 20,000 has been paid to seller Brij Hyundai Pvt. Ltd. by me having withdrawn from my account No. 30192684269 SBI University Branch, Allahabad and amount of Rs. 90,000/- has been paid to Syndicate Bank of India, Baradwari Branch, Aligarh having withdrawn from aforesaid account. I have taken loan of the rest amount Rs. 2,70,000/- from Syndicate Bank of India, Baradwari Branch, Aligarh. Amount of Rs. 3,60,000 has directly been paid by Snyderate Bank of India through a P.O. bearing Ref. No. 851312001367 on 04-08-09. Copy of the sanction order of the loan and relevant papers of the loan are enclosed with.
- 4- Not Applicable.
- 5- I have taken loan of the amount Rs. 2,70,000 from Syndicate Bank of India, Baradwari Branch, Aligarh and the monthly instalment of Rs. 5938 has already been started deducting from my salary since September 2009. These instalments are for 5 years, 60 in number and will be deducted upto month of September 2014.
- 6- Not Applicable.
- 7- Hyundai i10 bearing registration No. UP81AB5841.
- 8- Full address of seller is Brij Hyundai Pvt. Ltd. 6th K.M. Bhukrawali, G.T. Road, Aligarh.
- 9- Brij Hyundai Pvt. Ltd. Is an authorised, regular and reputed dealer of Hyundai car.
- 10- The dealer is not related to me in any way and no case against the seller or by the seller is pending in my court nor any case has been decided by me earlier.
- 11- The margin money was Rs. 1,10,000/- out of which Rs. 1,00,000 was given to me by me elder sister Dr. Mrinalini Verma Singhal and brother in law Dr. Sanjay Singh out of natural love and affection. Both are working in Sanjay Gandhi Post Graduated Institute Luchnow as Junior Resident and Senior Resident respectively. Rest amount of Rs. 10,000 has been arranged from my salary of previous months. Rest amount has been paid through bank loan.

17/12
J.R (m)
17-12-09
4
16/12/09
JR (m)
withd

Copies of my passbook of SBI account and sanctioned loan from Syndicate Bank of India & other relevant papers are enclosed herewith.

Information submitted
With regards.

Dated: 10.12.09
End as above

Office of the Dist. Judge, Aligarh
23/12/09 Date: 10.12.09

Yours Faithfully
Shivani
Shivani Verma
Addl. Civil Judge,
Aligarh

FORWARDED

Shivani
Addl. Civil Judge
Aligarh

A.R.D.
5-2-10

DEC 2009



request-98

04/12/2009

To whom it may concern

It is certified that a vehicle loan of Rs 270000 of Miss Shivani Verma was sanctioned by Aligarh Baradwari Branch of Syndicate Bank on 04/08/2009. Also, she deposited Rs 90,000/- in cash & a P.O. Ref No. 851312001367 in favour of "Brij Motors Pvt Ltd Aligarh", of Rs 3,60,000/- was given to her on 04/08/2009.

Above loan will be repayable in 60 instalment of EMI of Rs. 5938/-

कुले सिंडिकेट बैंक
For Syndicate Bank
प्रबन्धक/Manager
बारद्वारा अलगढ़, Baradwari Aligarh

सिंडिकेट बैंक शाखा से रु. (रुपए)
.....) की राशि प्राप्त हुई जो कि मेरे/हमारे श्री
..... प्रतिभू/ओ और बैंक के बीच दिनांक को हस्ताक्षरित
कृण दस्तावेज राशियों के अनुसार मुझे, हमें स्वीकृत है, (रुपए)

.....) के कृण की आगम राशियों के पूर्ण/अंशिक* भुगतान के रूप में।
RECEIVED from Syndicate Bank Baradwari branch Branch the sum of Rs. 270000
(Rupees Two lacs Seventy Thousand 00) in full/part* payment of the proceeds of the loan
Rs. 270000 (Rupees Two lacs Seventy Thousand 00)
.....) sanctioned to me/us in terms of the loan documents dated
4-8-09 entered into between me/us Sri Hari Krishna Kulshrestha

Surety/ies and the Bank

1. मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त राशि आपकी शाखा में मेरे/हमारे व.बै./चा.खा. सं में जमा कर दी जाए।
I/We request that the above proceeds be credited to my/our S.B./C.A/c. No. 8620/201/24118 at your branch.
2. मैं/हम अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त राशि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए I/We request that the above proceeds may be remitted to

1)

2)



Shivani

स्थान/Place Baradwari branch
तारीख/Date 4-8-09
नाम/Name Shivani Verma खाता सं./Account No. 734/140

(* जो लागू नहीं, उसे काट दें / Strike whichever is not applicable)

ओ.एफ. - 1904 (सं) (ओ.जी./-28ए तथा बी संयुक्त) O.F. - 1904 (R) (CG-28A & B Combined) 100x4.800 Pads/5-2007/001

Attested
कृते सिंडिकेट बैंक
For Syndicate Bank
प्रबन्धक/Manager
परबद्धारी, अलीगढ़, Baradwari Aligarh

request 098

PAY-SLIP FOR THE MONTH OF June '09

OFFICE NAME : CIVIL COURT ALIGARH
 NAME: Mr. HARI KRISHAN KULSRESTHA
 BASIC PAY : 11010.00

Bank A/C No. 86202200031840
 EMP CODE: 338
 GPF. No. : LJU 14054

PAY SCALE: 5200-20200
 DESIGNATION : MUNSRIM READER
 Attendance : 30

Earnings/Allowances		Deductions	
BASIC PAY	11010.00	G.I.S.	100.00
D.A.	2950.00	GPF SUBS.	1341.00
D.P./G.P.	2400.00		
H.R.A.	1470.00		
C.C.A.	120.00		
Gross Pay : 17950.00		Total Deduction :	1441.00
		Net Pay :	16509.00

Remark: M/R Addl Civil Judge Court No.2(JD) on 02.07.08

DA to GPF 0.00

PAY-SLIP FOR THE MONTH OF June '09

OFFICE NAME : CIVIL COURT ALIGARH
 NAME: Ms. SHIVANI VERMA
 BASIC PAY : 9000.00

Bank A/C No. 86202010024118
 EMP CODE: 537
 GPF. No. :

PAY SCALE: 9000-250-10750-300-10750-14550
 DESIGNATION : A.C.J.(J.D)
 Attendance : 30

Earnings/Allowances		Deductions	
BASIC PAY	9000.00	G.I.S.	120.00
D.A.	8640.00		
Oth.Alw.1	250.00		
Oth.Alw.2	500.00		
Oth.Alw.3	100.00		
D.P./G.P.	4500.00		
C.C.A.	100.00		
Gross Pay : 23090.00		Total Deduction :	120.00
		Net Pay :	22970.00

1621021-95

129/111-98

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

P 868820

... paper is part of the ...
... agreement ASD-4 ...
... recuted by Sh. Smt. Km. Shri Rani verma ...
... borrower for Rs. 270,000 ...
... 4/8/11 ...

Shivam

REQUEST-98

(उस राज्य में प्रवृत्त स्टाम्प अधिनियम के अनुसार, जिसमें ये दस्तावेज निष्पादित किए जाते हैं, स्टांपित किया जाएगा।)

विविध आडमान करार

(माल, स्टॉक, कच्ची सामग्री, संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर, फर्नीचर, वाहन, कम्प्यूटर और अन्य वस्तुओं का आडमान)

पक्षकार

यह करार सिंडिकेटबैंक, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित और कार्यरत एक बैंक है, जिरान्त प्रधान कार्यालय बर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में मणिपाल में स्थित है और जिसकी एक शाखा में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी हैं) के पक्ष में:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके/उन्के अपने-अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी भी शामिल हैं) के द्वारा किया गया है।

उधार लेने वाले को के प्रयोजन के लिए बैंक की आवश्यकता है और तारीख के आवेदन के अनुसार उधार लेने वाले के अनुरोध पर बैंक उधार लेने वाले को नकदी उधार (आडमान), नकदी उधार, गणतंत्री ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी, देशी साख पत्र, आयात साख पत्र, बट्टे पर बिल भुगतान, कार्यशील पूंजी मीग वरण, मी मदी वरण, आस्थगित भुगतान गारंटी आदि (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "उधार सुविधाएँ" कहा गया है) के रूप में या तो अलग-अलग या विभिन्न समुच्चय मीमाओं में, जो विशिष्टतया अनुसूची - I में वर्णित है, कुल रुपये (..... रुपये मात्र) की उधार सुविधा/उधार देने के लिए सहमत हो गया है और निम्नलिखित रूप से करार किया जाता है:

आडमान/प्रचारित माल का वर्णन : बैंक के उधार लेने वाले को इसकी अनुसूची-1 में देखाई गई उधार सुविधाएं मंत्रालय/प्रधान मंत्री के सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप, उधार लेने वाला बैंक के पक्ष में प्रथम भार के रूप में यह प्रभारित/आडमान करता है।

1. क) सभी माल, स्टॉक, कच्ची सामग्री, तैयार माल, अधूरा माल, किसी प्रकार की जंगम संपत्ति, संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर, उपकरण, फिटिंग और अन्य संस्थान, फर्नीचर, वाहन, कम्प्यूटर और इसमें इसके नीचे उल्लिखित विद्यमान और भावी अन्य सभी वस्तुएँ और चीजें (जो विशिष्टतया अनुसूची - III क और ख में वर्णित हैं) चाहे वे प्रतिष्ठापित हैं अथवा नहीं, चाहे खुली पड़ी हैं या बक्सों में, स्थल पर हैं या अस्थान में अथवा जो इसके पश्चात् किसी भी समय इस प्रतिभूति के जारी रहने के दौरान संस्थापित की जाती हैं या खुली या बक्सों में पड़ी जाती हैं या अब या इसके पश्चात् इस प्रतिभूति के दौरान समय-समय पर भांडागार में हैं या लाई जाती हैं या उधार लेने वाले के

- i) स्थित कारखाने
- ii) स्थित गोदाम
- iii) स्थित दुकान
- iv) स्थित परिसर

में हैं या उसके हैं अथवा जहाँ कहीं भी वे हैं या उधार लेने वाले के आदेश और ब्ययन के अधीन किसी पक्षकार द्वारा कहीं अन्यत्र धारित किए गए हैं या उधार लेने वाले के अधिकार के अनुबन्ध में हैं (जिसके अंतर्गत वे माल, मशीनरी, उपकरण इत्यादि भी हैं, जो इस करार के अन्तर्गत अपने-आपने बैंक द्वारा स्वीकृत आवश्यक उधार से उद्ये किए गए हैं) और वे सभी मशीनरी, वाहन, मीग और अन्य वस्तुएँ भी हैं जो इसमें अनुसूची - III ख वर्णन में वर्णित हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उद्यत माल" कहा गया है।) और

Shivan

(To be stamped in accordance with the Stamp Act in force in the state in which these documents are executed)

COMPOSITE HYPOTHECATION AGREEMENT

(Hypothecation of Goods, Stock, Raw Materials, Plant, Machinery, Fixtures, Furniture, Vehicles, Computers and Other Articles)

Parties

This Agreement is made at Aligarh in favour of Syndicate Bank, a Bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, with its Head Office, situated at Manipal in Udupi District of Karnataka State and one of its branches at Barasat branch (Hereinafter called THE BANK, which expression shall include its successors and assigns) by Shivani Verma & Sri Shiv Kumar Verma of J-10 Judges Compound Malkhon Nagar Aligarh

स्वामि
2. अ
3. अ
व्याज
3. अ

(Hereinafter called "THE BORROWER", which expression shall include his /her their respective heirs, executors, administrators, and assigns).

Whereas the Borrower is in need of money for the purpose of Hyundai Car and at the request of the Borrower as per application dated 3-8-2019 the Bank has agreed to grant the Borrower a Credit Facility/Loan aggregating to Rs. 2,70,000 (Rupees Two Lacs Seventy Thousand Only) by way of Cash Credit (Hypothecation), Cash Credit, Secured Overdraft, Bank Guarantee, Inland Letter of Credit, Import Letter of Credit, Bills Discounting, Working Capital Demand Loan, Term Loan, Deferred Payment Guarantees etc. (hereinafter collectively referred to as "the CREDIT FACILITIES") either individually or in different combination of limits, more particularly described in the Schedule hereto and it is agreed as follows:

Description of Goods Hypothecated / Charged:

1. a) In consideration of the Bank having granted/agreed to grant loan facilities to the Borrower and shown in Schedule - I hereunder the Borrower hereby charges/hypothecates by way of first charge in favour of the Bank.

All the goods, stocks, raw materials, finished goods, unfinished goods, movable property of any kind, plant, machinery, fixtures, implements, fittings and other installations, furniture, vehicles, computers and all other articles and things (more particularly described in Schedule - III A & B herein under mentioned) both present and future, whether installed or not, whether lying loose or in cases, at site or in transit or which may at any time hereafter during the continuance of this security be installed or lying loose or in cases or being in or upon which now or hereinafter from time to time during this security shall be brought into stores or be in or about the Borrowers';

- i) Factory at
ii) Godowns at
iii) Shop at
iv) Premises at

or wherever else the same may be or be held by any party anywhere to the order and disposal of THE BORROWER or in the course of transit to the Borrower (including those goods, machinery, implements, etc. purchased out of the Term Loan sanctioned by the Bank covered under this Agreement) and all the machineries, vehicles, vessels and other items more fully described in Schedule - III B & C herein (hereinafter referred to as the "SAID GOODS").

AND

Shivani

मा
4.

- ख) उधार लेने वाले के सभी विद्यमान और भावी अन्य-ऋण, बकाया धन, प्राप्य राशियां, दावे, विल, संविदाएँ, प्रतिभूतियाँ, निवेश, गुडविल, अधिकार और आस्तियाँ (जिन्हें इतमें इसके पश्चात् "अन्य प्रतिभूतियाँ" कहा गया है और विशिष्टता अनुसूची - III प में वर्णित हैं) किसी भी समय माँग किए जाने पर विभिन्न खातों में कुल बकाया रकम और किस्तों में, जैसा कि आवधिक उधार की बाबत करार किया गया हो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित दर पर व्याज सहित, जिसके अंतर्गत सभी खर्च भी हैं, बैंक को सम्यक् प्रतिसंदाय करने के लिए प्रतिभूति के रूप में हैं।

स्वामित्व और प्रतिकूल व्याज से संबंधित वारंटी:

2. उधार लेने वाला यह घोषणा करता है कि सभी "उक्त माल" उधार लेने वाले के एकमात्र व्ययन के अधीन उधार लेने वाले की आत्यंतिक सम्पत्ति हैं और किसी पूर्व प्रभार या विल्लंगम से मुक्त हैं और इसके अधीन सभी भावी माल और सम्पत्ति इसी प्रकार उनकी विल्लंगम-रहित सम्पत्ति होगी और उधार लेने वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया है या जान बूझकर किसी ऐसे कार्य में पक्षकार या संसर्गी नहीं रहा है जिसके द्वारा उसे "उक्त माल" को आडमानित करने से किसी भी प्रकार से निवारित किया जाए।

व्याज खंड:

3. क) उक्त उधार सुविधाओं में बकाया पर प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज लिया जाएगा जो सिंडिकेटेड बैंक मूल उधार दर/मूल मीयादी उधार दर* से प्रतिशत अधिक है और जिसमें समय-समय पर उसके साथ कलेंडर मासिक/त्रैमासिक अंतरालों पर वेशी या कमी होती है। इस करार के पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट करार किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार/बैंक द्वारा नियत मूल उधार दर/मूल मीयादी उधार दर के अनुसार व्याज की दर में परिवर्तन के नोटिस का अधित्यजन किया जाता है। बैंक परिसर के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित या समाचार पत्र/समाचार पत्रों में प्रकाशित या उधार लेने वाले को समय-समय पर दिए गए लेखा-विवरण में प्रभारित व्याज की प्रविष्टि के माध्यम से जानकारी में लाया गया दर में ऐसा परिवर्तन उधार लेने वाले को परोप्य नोटिस होगा और उधार लेने वाला, जब तक सभी देयों का पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया जाता, नोटिस बोर्ड पर समय-समय पर अधिसूचित दर पर व्याज संदत करने का करार करता है। परन्तु यह भी कि उधार लेने वाले द्वारा संदेय व्याज, बैंक की समय-समय पर यथा-अवधारित मूल उधार दर/मूल मीयादी उधार दर और/या बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर उद्गृहीत/विहित व्याज में परिवर्तन के अर्धधीन होगा और इस विलेख का यह अर्थ लगाया जाएगा कि व्याज की ऐसी संशोधित दर/दरें उक्त अनुसूची में पहले से उल्लिखित थीं और उधार लेने वाले द्वारा संदाय करने का करार किया गया था और इसलिए प्रतिभूत हैं। बैंक तत्समय देय व्याज या उधार लेने वाले द्वारा इस विलेख के अधीन संदेय अन्य रकमों के संदाय की माँग करने का हकदार होगा, किन्तु इसके साथ-साथ व्याज या अन्य रकमों सहित बैंक को देय बकाया का भुगतान करने की माँग नहीं करेगा।
- ख) उधार लेने वाला स्वीकृत सीमा के अनुपयोजित भाग पर प्रतिशत वार्षिक दर पर या ऐसी दर पर, जो बैंक द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, प्रतिबद्धता प्रभार और व्याज कर, जब और जहाँ भी लागू हो, संदत करने का करार करता है।
- ग) यह करार किया जाता है कि प्रवृत्त दरों के अनुसार व्याज (सिवाय वहाँ, जहाँ प्रतिसंदाय समान मासिक किस्तों में नियत किया गया है), अतिशोध्य व्याज, निरीक्षण प्रभार, आनुपंगिक प्रभार, विधिक प्रभार, सी.जी.एफ.टी.एन.आई. कमीशन या समान प्रकार के कोई अन्य कमीशन आदि उधार लेने वाले के खाते में विकलित किया जा सकेगा या नियत तारीखों को उसका संदाय करने में असफल रहने की दशा में अन्यथा वसूल किया जा सकेगा।
- घ) यह करार किया जाता है कि बैंक मूल उधार दर, ऋण जोड़िम निर्धारण पद्धति या ऐसी अन्य ऋण निर्धारण पद्धति में जो बैंक में समय-समय पर प्रचलित हो, परिवर्तन के अनुसार या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य विनियामक प्राधिकारियों के अनुदेशों के अनुसार या अन्यथा व्याज दर और अतिशोध्य व्याज दर में नोटिस दिए बिना परिवर्तन कर सकेगा और अतिशोध्य व्याज दर आनुपंगिक प्रभारों, निरीक्षण प्रभारों आदि में भी परिवर्तन कर सकेगा और उधार लेने वाला व्याज दर, निरीक्षण प्रभारों, आनुपंगिक प्रभारों आदि में ऐसे परिवर्तन के लिए नोटिस या सूचना दिए जाने के अधिकार का स्पष्ट रूप से अधित्यजन करता है।
- च) उपर्युक्त दर/दरों पर संदेय व्याज की संगणना नकदी उधार, चालू खाता, मीयादी ऋण उधार और अन्य उधार सुविधा खाते/खातों में दैनिक नामे बकाया के आधार पर की जाएगी और तदनुसार उक्त खाते/खातों में प्रत्येक मास या तिमाही या छः माही जैसा कि बैंक विनिश्चित करे, प्रभारित किया जाएगा परन्तु उधार लेने वाला भिन्न-भिन्न खातों में इस करार के निबंधानुसार प्रोद्भूत किन्तु संबंधित खातों में वस्तुतः नामे न डाला गया व्याज संदत करने के लिए भी आवद्ध होगा।
- छ) उधार लेने वाले द्वारा इन विलेखों के अधीन समय-समय पर संदेय व्याज, शुल्क, खर्च, प्रभार और व्यय के गर्दे देय किसी एक या संदाय न करने की दशा में बैंक अपने विवेकानुसार ऐसी रकम/रकमों उधार लेने वाले के किसी भी उधार सुविधा खाते, अर्थात् ओवरड्राफ्ट खाता, नकदी उधार खाता, चालू खाता या किसी अन्य खाते में नामे डालने या प्रभारित करने का हकदार होगा। बैंक के पास उधार लेने वाले के ओवरड्राफ्ट खाते, नकदी उधार खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते में इस प्रकार विकलित कोई रकम उस खाते का भाग होगी जिसमें उन खातों को, जिसमें/जिनमें यह/ये रकम/रकमों इस प्रकार विकलित की जाती है, सुसंगत समय पर प्रवृत्त व्याज दर या दरें लागू होती हैं।

मार्जिन

4. उधार लेने वाला ऐसी प्रतिभूति मार्जिन बनाए रखेगा जैसा कि बैंक द्वारा नियत किया जाए और किसी भी परिस्थिति में मार्जिन अनुसूची - I में कथित मार्जिन से कम नहीं होगा। उधार लेने वाला सभी समयों पर ऐसे आस्ति कवर के लिए, जैसी बैंक द्वारा इसके विवेकानुसार अपेक्षा की जाए, प्रतिभूतियों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखेगा और ऐसे कवर में किसी कमी की दशा में, जब भी बैंक से ऐसे आस्ति कवर को मूल स्तर पर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ देने की अपेक्षा की जाए, तुरन्त व्यवस्था करेगा या अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ उपलब्ध न होने की दशा में बैंक को नकद संदाय करेगा।

* जो लागू नहीं होता हो उसे वाट दीजिए।

Shivan

Bank
with
is at
s and

ators.

dated
ing to

redit
redit,
after
more

wn in
f the

plant;
other
esent
at any
in or
in or

THE
nents,
all the
here-

- b) all the Borrower's present and future other debts, outstanding monies, receivables, claims, bills, contracts, securities, investments, goodwill, rights, and assets (hereinafter referred to as the "OTHER SECURITIES" and more particularly described in Schedule - III D) as security for due repayment to the Bank at any time on demand the total balance outstanding in the various accounts and in instalments as agreed in respect of the term loan account along with the interest at the rate hereinafter provided including all costs.

मीया
5.

Warranty Regarding Ownership & Adverse Interest:

2. The Borrower declares that all the "SAID GOODS" is the absolute property of the Borrower at the sole disposal of the Borrower and free from any prior charge or encumbrance and that all future goods and property hereunder shall be likewise their unencumbered property and that the Borrower has not done or knowingly suffered or been a party or privy to anything whereby he is anyway prevented from hypothecating the "SAID GOODS".

Interest Clause:

3. a) Interest shall be charged on the outstanding in the said credit facilities at the rate of 11.5 % p.a. being 11.5 % over and above the Syndicate Bank's Prime Lending Rate (PLR) / Prime Term Lending Rate (PTLR)* raising or falling therewith from time to time with calendar Monthly/quarterly rests. It is expressly agreed between the Parties to this agreement that Notice of variation of rate of interest from time to time as per the directions of the Reserve Bank of India/or as per Prime Lending Rate/Prime Term Lending Rate fixed by the Bank is waived. Such variation in the rate notified in the Notice Board in the Bank premises or published in the newspaper/s or made known through entry of interest charged in the Statement of Account given to the Borrower from time to time, shall be sufficient notice to the Borrower and Borrower agrees to pay interest at the rate notified in the notice board from time to time until all dues are cleared in full. Provided further that the interest payable by the Borrower shall be subject to the change in Prime Lending Rate / Prime Term Lending Rate of the Bank from time to time as determined and/or interest that may be levied/prescribed by the Bank and/or RBI from time to time and this Deed shall be construed as if such revised rate/s of interest were already mentioned in the said Schedule and agreed to be paid by the Borrower and hereby secured. The Bank shall be entitled to demand payment of interest for the time being due or other amounts payable by the Borrower under these presents without at the same time demanding payment of the balance due to the Bank inclusive of such interest or other amounts.
- b) The Borrower agrees to pay commitment charges at the rate of % per annum or such other rate as may be fixed by the Bank, from time to time, on the unutilised portion of the sanctioned limit and interest tax levy whenever and wherever applicable.
- c) Agrees that interest (except where repayments are stipulated in equated monthly instalments), overdue interest as per rates in force, inspection charges, incidental charges, legal charges, CGFTSI commission or any other similar commission etc. may be debited to the account of the Borrower or recover otherwise in case of failure to pay the same on due dates.
- d) Agrees that the Bank may, without notice, vary the interest rate and overdue interest rate as per changes in its Prime Lending Rate, credit risk rating system, or such other credit rating system as may be prevalent in the Bank from time to time or as per instructions of RBI or other regulatory authorities or otherwise and also vary rate of overdue interest, incidental charges, inspection charges etc., and the borrower hereby expressly waives the right of notice or intimation for such variation in the interest rate, inspection charges, incidental charges etc.
- e) Interest payable at the rate/s aforesaid shall be calculated on the daily debit balance in cash credit, current account, Term Loan and other Credit Facility/Account(s) and charged accordingly in the said account(s) of each month or quarter or half-year as the Bank may decide, provided however the Borrower shall also be bound to pay the interest accrued in the respective accounts as per terms of this Agreement but not actually debited to the respective accounts.
- f) In the event of the Borrower not paying any amount due on account of interest, fees, costs, charge and expenses payable from time to time under these presents the Bank shall be at its discretion entitled to debit or charge such amount(s) to any of the Credit Facility Account(s) namely the Overdraft Account, Cash Credit Account, Current Account or any other account of the Borrower. Any amount(s) so debited to the overdraft account, cash credit account, current account or any other account of the Borrower with the Bank shall form part of the account(s) to which such amount(s) is/are debited and shall carry interest at the rate or rates in force at the relevant time applicable to the account(s) to which the amount(s) is/are so debited.

उप
6.

Margin:

4. The Borrower shall maintain such security margin as may be stipulated by the Bank and under no circumstances, the margin shall be lower than as stated in Schedule I. The Borrower shall at all times maintain a sufficient quantity of the securities to provide the asset cover as may be required by the Bank at their discretion and in the event of any deficiency in such cover forthwith whenever called upon provide to the Bank additional securities to restore such asset coverage to the original level or pay to the Bank in Cash in the event of additional securities not being available.

*Strike out whichever is not applicable.

Shivam

उधारकर्ता की ओर से प्रसविदा

request-98

मौजूदा ऋण के मामले में

5. क) उधारकर्ता अनुसूची-III ख में उल्लिखित वाहनों, नौकाओं, जलवाहनों आदि का परिदान लेने और/या जहाँ भी उन्हें शासित करने वाली किसी विधि के अधीन ऐसा अपेक्षित हो, उनका रजिस्ट्रीकरण कराने, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में बैंक का धारणाधिकार नोट कराकर चलाने और उक्त माल के ऐसे भाग को बनाए रखने/चलाने के प्रयोजन के लिए विधि के अधीन अपेक्षित परमिटों और अनुज्ञप्तियों को प्रवृत्त रखने का करार और बचनबंध करता है।
- ख) उधारकर्ता यह करार करता है कि वह मशीनरी का परिदान लेगा जिसका संदाय बैंक द्वारा सीधे पूर्तिकर्ता को किया गया है और यदि उधारकर्ता इस शर्त का अनुपालन नहीं करता है तो बैंक को उपलब्ध अन्य उपचारों के होते हुए भी, वह इस करार के अधीन संदेय समस्त रकम वापस लेने और वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।
- ग) इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता यह भी करार करता है कि उक्त माल को बैंक की पूर्व लिखित सम्मति के बिना किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा और उक्त माल और अग्नि बीमा पॉलिसी की सभी विक्रय वसूलियाँ और आगम राशि बैंक की अनन्य सम्पत्ति मानी जाएगी और उन्हें उधारकर्ता के दायित्वों में समायोजित किया जाएगा। यदि उक्त माल अन्य स्थान पर ले जाया जाता है तो उधारकर्ता के विरुद्ध न्यास - भंग, दुर्व्यपदेशन आदि के लिए आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
- घ) उधार का किस्तों में या इसमें अनुसूची - II में उल्लिखित नियत किस्तों में ब्याज सहित मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने का करार करता है।
- ङ) उधारकर्ता यह भी करार करता है और बैंक को अप्रतिसंहरणीय रूप से यह प्राधिकृत करता है कि बैंक कोई, नोटिस दिए बिना उसके बचत बैंक/ओवरड्राफ्ट/नकदी उधार खातों में उपलब्ध बकाया राशि की सीमा तक इस करार के अधीन बैंक को देय मूलधन, ब्याज और/या प्रभार, व्यय आदि के मद्दे रकम नामे डाल सकेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकार दिए जाने के आधार पर नामे डाली गई रकम और उधार खाते में जमा की गई ऐसी रकम परिसीमा के प्रयोजन के लिए संदाय द्वारा अभिविधित मानी जाएगी।

उधारकर्ता यह घोषणा, प्रसविदा और करार करता है कि

6. क) उक्त उधार सुविधाओं का उपयोग उधारकर्ता द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में और केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वे दी गई हैं और किसी दुरुपयोग के लिए बैंक को, इसमें अंतर्विष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संपूर्ण ऋण रकम, ब्याज और अन्य प्रभारों सहित, दांडिक विधि के अधीन दुरुपयोग के लिए उधारकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ साथ, वापस माँगने और वसूल करने का अधिकार होगा और अपने नाम में बीजक प्रस्तुत करेगा और अपनी मार्जिन राशि को नकदी/चेक/अपने खाते में जमा शेष रख कर सुनिश्चित करेगा तथा बैंक को बीजक की राशि अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर सीधे व्यापारी/पूर्तिकर्ता इत्यादि को चरणों में/एकमुश्त निर्माहित करने के लिए प्राधिकृत करता है।
- ख) सभी "उक्त माल" और अन्य प्रतिभूतियाँ और सभी विक्रय और आपन और बीमे की आगम राशियाँ बैंक के लिए और उसके लेखे में बैंक की अनन्य सम्पत्ति होंगे जो विशिष्टतः इस प्रतिभूति के मद्दे समायोजित किए जाएंगे और ऐसा कोई प्रभार, धारणाधिकार या विल्लंगम सृजित नहीं करेगा जिससे उन पर या उनके किसी भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे इस प्रतिभूति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और उधारकर्ता अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में विक्रय करने के सिवाय "उक्त माल" और अन्य प्रतिभूतियों से अलग नहीं होगा और जैसा कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, न ही बैंक द्वारा लिखित में विक्रय के विरुद्ध प्रतिषेध करने के पश्चात् कोई विक्रय करेगा और जहाँ तक अनुसूची - III 'क' में "उक्त माल" का संबंध है, उनका विक्रय या अन्यसंक्रामण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाती।
- ग) वह, बैंक और उसके अभिकर्ताओं तथा अधिकारियों को समय-समय पर ऐसे किसी गोदाम या परिसर में प्रवेश करने देगा जहाँ "उक्त माल" या उसका कोई भाग और/या उधारकर्ता का सभी अभिलेख उस समय रखा हुआ है और उनका निर्धारण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और उनकी सूची बनाने और उनका कब्जा लेने देगा और बैंक तथा उसके अभिकर्ताओं को वे सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो उपर्युक्त किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। ऐसे निरीक्षण और मूल्यांकन, कब्जा लेने और हटाने के संबंध में बैंक द्वारा उपगत सभी खर्च, प्रभार और व्यय उधारकर्ता द्वारा बैंक को संदत्त किए जाएंगे और यदि इनका संदाय नहीं किया जाता है तो ये उधारकर्ता के खाते में नामे डाल दिए जाएंगे।
- घ) बैंक ऐसे परिसर जहाँ उक्त माल या उसका भाग रखा हुआ है, में प्रवेश करके, उक्त माल का कब्जा लेने, उसे अभिगृहीत करने, रिसीवर नियुक्त करने और/या न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्राइवेट विक्रय या लोक नीलामी द्वारा उसका विक्रय करने और शुद्ध आगमों का उपयोग बैंक को देय रकमों के परिनिर्धारण के लिए करने का हकदार है और यह करार किया जाता है कि बैंक के विक्रय या वसूली के लेखे पर उधारकर्ता आपत्ति नहीं उठाएगा और यह भी करार करता है कि वह इस बात के होते हुए भी कि उक्त सभी माल या किसी माल की वसूली नहीं हुई है, तो उक्त विक्रय आगमों को समायोजित करने के पश्चात् बैंक को देय बकाया रकम ब्याज और अन्य प्रभारों सहित संदाय करेगा।
- ङ) उधारकर्ता "उक्त माल" को अपने जोखिम, खर्च और व्यय पर अच्छी हालत में रखेगा और समय-समय पर उसे ठीक कराएगा। उधारकर्ता उस गोदाम/परिसर के सहजदृश्य भाग पर, जिसमें सभी या कोई "उक्त माल" रखा हुआ है/भंडारित/प्रसंस्कृत है, "उक्त माल" के बैंक के पक्ष में आडमान रखा जाना दर्शाते हुए आवश्यक नोटिस बोर्ड लगाएगा। उधारकर्ता उन कारखाना परिसरों और गोदामों जहाँ "उक्त माल" रखा जाएगा, से संबंधित सभी किरायों, करों, उपकरों, शुल्कों का समय पर संदाय करेगा और अन्य निर्गमों पर लागत का संदाय करेगा और उक्त माल को करस्थम से मुक्त रखेगा। ऐसा न करने पर बैंक इसमें दिए गए या विधि के अनुसार अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसा करने के लिए आबद्ध हुए बिना ऐसे किरायों, करों, उपकरों, शुल्कों और अन्य लागत का संदाय कर सकेगा और बैंक द्वारा संदत्त ऐसी रकम माँग किए जाने पर उधारकर्ता द्वारा प्रतिसंदाय की जाएगी और ऐसे संदाय के व्यतिक्रम पर उक्त रकम उधारकर्ता के ऐसे खाते/खातों के नामे डाली जाएगी, जो बैंक उचित समझे और उन पर इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित दर पर ब्याज लगेगा और यह "उक्त माल" पर प्रभार होगा।

Shivani

Covenants on the part of the Borrower

In the case of Term Loan

5. a) The Borrower agrees and undertakes to take delivery of the vehicles, boats, vessels etc., as mentioned in Schedule -III B and /or ply after getting the same registered, wherever required under any law governing the same, by noting the Bank's lien in such Registration certificate issued by competent authorities and also to keep in force permits and licences as required under law for the purpose of maintaining/plying such part of the said goods. च)
- b) The Borrower agrees that he will take delivery of the machineries for which payment is made by the Bank directly to the suppliers and that if the Borrower fails to comply with this condition, the Bank has liberty to recall and recover the entire amount payable under this Agreement, notwithstanding other remedies available to the Bank. छ)
- c) Further, the Borrower agrees that the said goods shall not be moved to any other place without the prior written consent of the Bank and that the said goods and all sales realization and proceeds of Fire Insurance Policies shall be held as Bank's exclusive property to be appropriated to the liabilities of the Borrower. If moved the borrower is liable to be proceeded for criminal action for breach of trust, misrepresentation etc. ज)
- d) Agrees to repay the loan in instalments or principal amount with interest in stipulated instalments as mentioned in Schedule-II hereto. झ)
- e) The Borrower hereby also agrees and authorizes irrevocably the Bank to debit his SB/OD/CC A/c without notice, towards principal, interest and/or charges, expenses etc., due to the Bank under this Agreement to the extent of balance available in the said account and the said debit made as per the authority specifically given hereby and credit of such amount to the loan account, shall be treated as an acknowledgement by payment for the purpose of limitation. ञ)

The Borrower hereby declares, covenants and agrees that

6. a) The said credit facilities shall be applied and utilized by the Borrower in the ordinary course of business and only for the purpose for which the same are granted and for any misutilisation of the Bank has right to recall and recover the entire loan amount besides proceedings against borrowers for misutilisation under Criminal Law without prejudice to any other terms contained herein to submit invoice in his name and ensure his margin by cash/cheque/credit balance in his account and authorise the Bank to release the invoice amount in stages/full to the dealer/supplier etc., at his risks and responsibilities. 7. बि)
- b) All the "SAID GOODS" and Other Securities and all sales and realizations and Insurance proceeds thereof from all or in trust for and on account of the Bank as the Bank's exclusive property especially appropriated to this security and shall not create any charge, lien or encumbrance affecting them or any part thereof or do anything which would prejudicially affect this security and the Borrower shall not part with the " SAID GOODS" and Other Securities save and except by way of sale in the ordinary course of the Borrower's business and as hereinafter provided, nor shall any sale be made after prohibition in writing by the Bank against selling and as regards the "SAID GOODS" in Schedule - III A the same shall not be sold or alienated unless specifically permitted by the Bank. क)
- c) Shall permit the Bank, their agents and servants from time-to-time and at all times to enter upon any godowns or premises wherein the "SAID GOODS" or any part thereof and/or all records of the Borrower may for the time being, and to assess, view, inspect, value, to make inventories and to take possession thereof and render to the Bank and their agents all facilities as may be required for any of the purposes aforesaid. All costs, charges and expenses incurred by the Bank or anything incidental to such inspection and valuation, possession and removal shall be paid by the Borrower to the Bank and if not paid be debited to the Borrower's account. ख)
- d) Bank is entitled to take possession of the said goods by entering into the premises where the said goods or part thereof is kept/housed and seize, appoint Receiver and/or sell the same either by private sale or public auction, without the intervention of the Court and to apply the net proceeds towards the liquidation of dues to the Bank and further agrees that the Bank's account of sales or realisation shall not be questioned by the Borrower and also agrees to pay the balances due to the Bank with interest and other charges, after adjustment of the sale proceeds, notwithstanding that all of the said goods may not have been realized. ग)
- e) At his own risk, cost and expenses preserve the "SAID GOODS" in good condition and recondition the same from time-to-time. The Borrower shall put necessary notice board indicating hypothecation charge in favour of the Bank over the "SAID GOODS" in a conspicuous part of the godowns/premises where all or any of the "SAID GOODS" is situate/store/processed. The Borrower shall punctually pay all rents, rates, taxes, cesses, duties and other outgoing of the factory premises and godown wherein the "SAID GOODS" shall be kept and keep the "SAID GOODS" free from distress. In default, the Bank may without affecting its rights hereunder or at law and without being bound to do so pay such rents, rates, taxes, cesses, duties and other outgoing and any such amount paid by the Bank shall be repaid by the Borrower on demand and in default of such payment the said amount shall be debited to such account/s of the Borrower as the Bank shall think fit and shall carry interest at the rate hereinafter mentioned and be a charge on the "SAID GOODS". 8. घ)

Shivam

- च) वह स्वीकार किए गए/स्वीकार किए जाने के लिए करार किए गए/विनिर्दिष्ट सीमाओं तक कटौती किए गए विनिमय पत्रों और जारी की गई/जारी की जाने के लिए करार की गई गारंटियों/खोले गए/खोले जाने वाले साख पत्रों और बैंक में जमा/जमा रखे गए मार्जिन धन पर ऐसी दर या दरों पर, जो बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, बैंक कमीशन और फीस का संदाय करेगा तथा उधार लेने वाला यह भी समझता है कि कमीशन की दर/दरों में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन भी किया जाएगा।
- छ) ऐसी सभी जानकारी, विवरण और विवरणों, जैसे स्टॉक विवरण/बही ऋण विवरण आदि प्रस्तुत करेगा, जिनकी बैंक उधार और उक्त माल, लागत विवरणी, उक्त माल के बाजार मूल्य के संबंध में समय-समय पर अपेक्षा करे।
- ज) उधार लेने वाले की शुद्ध लागत और अन्य वित्तीय स्थिति की अवधारणा करने के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर नियत परिनिर्धारण, ऋणप्रस्तता, प्रतिभूति कवरेज और लाभप्रदता के संबंध में मूलभूत वित्तीय परिसीमाओं का कड़ाई से पालन करेगा और 10 से 20 प्रतिशत के सख स्तर के परे मूलभूत वित्तीय परिसीमाओं के अधीन नियत अनुपात या स्तर का पालन न करने पर इस प्रसंविदा को भंग माना जाएगा, जिसके कारण शास्तिक कार्रवाई की जा सकेगी जिसमें बैंक के स्वविवेकानुसार उधार-सुविधाएँ वापस ली जा सकेगी।
- झ) उधार लेने वाला इस करार के जारी रहने के दौरान आडमान रखे गए ऐसे किसी माल को जिस पर बैंक का धारणाधिकार विस्तारित होगा या अभिव्यक्त है या विस्तारित होना आशयित है, किसी अन्य को आडमान नहीं करेगा या अन्यथा प्रभारित या विल्लंगमित नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा या करने की अनुज्ञा देगा जिससे बैंक को इससे पूर्व अभिव्यक्ततः दी गई प्रतिभूति पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और उधार लेने वाला बैंक की लिखित सम्मति के बिना किसी अन्य बैंक/संस्था में कोई अन्य बैंक खाता नहीं खोलेगा और न ही उधार सुविधा प्राप्त करेगा।
- ञ) जब तक बैंक द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, उधार लेने वाला ऐसी सभी रकमों की माँग किए जाने पर उक्त सुविधाओं को तुरन्त वापस करेगा, जो उधार सुविधाओं के अधीन बकाया हो और उन पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, परिनिर्धारित नुकसानी, खर्च, प्रभार, व्यय और अन्य राशियाँ उस दर पर संदत्त करेगा जो उसको लागू होती हैं। उधार लेने वाले द्वारा प्रतिसंदाय करने में असफल रहने पर उधार लेने वाला व्यतिक्रमी माना जाएगा और व्यतिक्रम की दशा में देय रकम को इसमें नीचे कथित व्यतिक्रम के उपबन्ध लागू होंगे।

7. बिल मितिकाटा/मीयादी ऋण/बैंक गारंटी/प्रत्यय पत्र की बाबत

- क) बट्टे पर बिल भुनाने की सुविधा के संबंध में उधार लेने वाला यह करार करता है कि वह इस संबंध में बैंक के नियमों/पद्धतियों का पालन करेगा और उक्त अग्रिम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने का भी करार करता है।
- ख) मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण सुविधा के संबंध में एतद्वारा यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाला, ऐसे माल/मशीनरी/संयंत्र/उपकरणों पर, जो इन बिलेखों के अंतर्गत आने वाले ऐसे आवधिक उधार में से क्रय किए गए हों, भार सृजित किए जाने के बावजूद भी बैंक द्वारा यथा-अनुबंधित पृथक उधार करार या कोई अन्य दस्तावेज निष्पादित करेगा।
- ग) बैंक गारंटी सीमा के अनुसार बैंक, उधार लेने वाले द्वारा समय-समय पर मार्जिन, प्रतिभूति, कमीशन के संदाय, आदि के संबंध में बैंक के अनुबंधों का पालन करने के अध्याधीन उन हिताधिकारियों को उतनी बैंक गारंटी जारी करने के लिए प्राधिकृत है जितनी बैंक अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझे। गारंटी की प्रार्थना करने पर उधार लेने वाला मार्जिन घटाकर अपेक्षित धन की व्यवस्था करेगा ताकि बैंक, गारंटी/गारंटियों का संदाय करने में समर्थ हो। उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि समाप्त हो गई गारंटियों की बाबत उक्त गारंटियों की विधिमान्य अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मूल गारंटी विलेखों को संगृहीत करने और वापस लौटाने की व्यवस्था करेगा और बैंक गारंटी सुविधा की बाबत बैंक के सभी नियमों/पद्धतियों का भी पालन करेगा। जब तक मूल बैंक गारंटी वापस नहीं की जाती है या जब तक उधार लेने वाला समाप्त हो चुकी गारंटियों की बाबत उन्मोचन पत्र प्रस्तुत नहीं करता, बैंक आडमानित संपत्ति पर बैंक का भार बनाए रखने का हकदार होगा।
- घ) प्रत्यय पत्र सुविधा के संबंध में उधार लेने वाला प्रत्यय-पत्र सुविधा से संबंधित बैंक के सभी नियमों/पद्धतियों का और ब्याज, कमीशन प्रभार आदि के संदाय के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का भी पालन करने का करार करता है। उधार लेने वाला आयात अनुज्ञप्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम द्वारा अपेक्षित आवश्यक अनुज्ञाओं की आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने का भी करार करता है और उधार लेने वाला बैंक द्वारा प्रत्येक मामले में प्रत्यय-पत्र खोलने के लिए अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजे निष्पादित करेगा।
- ङ) उधारकर्ता यह करार करता है कि जब तक बैंक गारंटी बंध-पत्र/बैंक गारंटी के दायित्व से उन्मोचन करने वाला लाभार्थी का पत्र बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक वह बैं.गा. कमीशन का संदाय करेगा।

8. बीमा:

- क) यह कि सभी "उक्त माल" का जो इस करार की विषयवस्तु है, उधार लेने वाले द्वारा "उक्त माल" के वास्तविक मूल्य की सीमा तक उधार लेने वाले और बैंक के संयुक्त नाम से बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी/कंपनियों के पास अग्नि, चोरी, लूट, विद्युत, बलवा, सिविल अशांति, विद्वेषपूर्ण नुकसानी, हड़ताल द्वारा हानि या नुकसानी और/या ऐसे किसी अन्य जोखिम के लिए, जो उधार लेने वाला आवश्यक समझे या जैसा कि बैंक द्वारा स्वविवेकानुसार अपेक्षा की जाए, बीमा कराया जाएगा और बीमाकृत रखा जाएगा और उधार लेने वाला ऐसे बीमा के लिए देय प्रीमियम का समय-समय संदाय करेगा तथा कवर नोट और बीमा पॉलिसी/पॉलिसियाँ बैंक को परित्त की जाएगी।

Shivam

- f) To pay and shall pay to the Bank commission, fees on the bills of exchange accepted/agreed to be accepted/ discounted within the specified limits and the guarantees issued/agreed to be issued/letters of Credit opened/to be opened and deposit/keep deposited with the Bank margin money at such rate or rates as the Bank may specify from time to time and the Borrower further understands that the rate/s of commission shall also vary from time to time depending on the directives of the RBI. ख)
- g) To furnish all information, statements and returns like Stock Statements/Book Debt Statements etc., as the Bank may require in relation to the loan and the said goods, returns of the cost, market value of the said goods etc., periodically. ग)
- h) To strictly adhere to the basic financial parameters with regard to liquidity, indebtedness, security coverage and profitability as stipulated by the Bank from time to time for determining the net worth and other financial position of the Borrower and that non fulfillment of the stipulated ratios or levels under the basic financial parameters beyond a tolerance level of 10 to 20 percent shall be treated as breach of this covenant inviting penal action including recall of the credit facilities at the sole discretion of the Bank. घ)
- i) That the Borrower shall not during the continuance of this Agreement hypothecate or otherwise charge or encumber any of the hypothecated goods over which the lien of the Bank shall extend or be expressed or intended to extend to others nor do or permit any act whereby the security hereinbefore expressed to be given to the Bank shall be in any way prejudicially affected, and that the Borrower shall not open any other Bank Account or avail credit facility from any other Bank/Institution without the express written consent of the Bank. ङ)
- j) Unless otherwise agreed to by the Bank, the Borrower shall repay the said facilities forthwith on demand of all such amounts as may be standing at the foot of the credit facilities together with interest, compound interest, additional interest, liquidated damages, costs, charges, expenses and other moneys thereon at the rate/s as may be applicable thereto. Failure of the Borrower to repay shall entail the Borrower being treated as a defaulter and the amount due as in the default invoking the provisions as to the defaults as herein under stated. झ)

7. In respect of Bill Discounting/Term Loan/Bank Guarantee/Letter of Credit

- a) As regards Bill Discounting facility, the Borrower agrees to abide by the rules/practices of the Bank in this regard and also agrees to execute necessary documents required for the purpose of the said advance. 9.
- b) As regards the Term Loan/Working Capital Term Loan facility, it is hereby agreed that the Borrower shall execute separate Loan Agreement or any other document as may be stipulated by the Bank, notwithstanding creation of charge over the goods/machinery/plant/implements, if any purchased out of such Term Loan being covered by these Presents.
- c) In terms of the Bank Guarantee Limit, the Bank is authorized to issue as many Bank Guarantees to those beneficiaries as the Bank may deem fit, at its discretion, subject to compliance by the Borrower of the Bank's stipulations from time to time with regard to the margin, security, payment of commission etc. On invocation of the guarantee/s the Borrower shall provide the funds required less the margin to enable the Bank to effect the payment of the Guarantee/s. The Borrower further agrees that he shall arrange to collect and return the Original Guarantee deeds in respect of expired Guarantees soon after the validity period of the said Guarantees expired and also comply with all the rules/practices of the Bank with respect of Bank Guarantee facility. Until the original Bank Guarantees are returned or till the Borrower produces discharge letters in respect of expired Guarantees, the Bank shall be entitled to retain the Bank's charge over the Hypothecated Property and any other security. 10.
- d) As regards the Letter of Credit facility, the Borrower hereby agrees to comply with all the rules/practices of the Bank with regard to the Letter of Credit facility and also the guidelines of Reserve Bank of India with regard to payment of interest, commission charges, etc. Borrower also agrees to comply with necessary formalities such as Import License, necessary permissions as required by Foreign Exchange Management Act etc., and that the Borrower shall execute necessary documents required by the Bank for opening Letter of Credits in each individual case.
- e) The Borrower agrees to pay Bank Guarantee commission until the Bank Guarantee Bond/the letter from the beneficiary discharging the Bank Guarantee liability is produced to the Bank.

8. Insurance:

- a) That all the "SAID GOODS", which is the subject matter of this Agreement, shall be insured and kept insured by the Borrower against loss or damage by fire, theft, robbery, lightening, riot, civil commotion, malicious damages, strikes and/or any other risk as the Borrower may think necessary or as may be required by the Bank in its discretion in the joint name of the Borrower and the Bank with an Insurance Company/Companies approved by the Bank to the extent of actual value of the "SAID GOODS" and the Borrower shall punctually pay the premium due for such insurance and that the cover note/s and the insurance policy/policies thereof shall be delivered to the Bank.

[Handwritten Signature]

- ख) यदि उधार लेने वाला ऐसा बीमा कराने में असफल रहता है तो बैंक, ऐसा करने के लिए आबद्ध हुए बिना, "उक्त माल" का उपयुक्त जोखिमों में से किसी एक या अधिक जोखिम के लिए, जैसा कि बैंक अपने विवेकानुसार आवश्यक समझे, ऐसे संयुक्त नामों में बीमा करा सकेगा और बैंक द्वारा संदत्त कोई प्रीमियम और अन्य प्रभार उधार लेने वाले द्वारा संदत्त किए जाएंगे। तथापि, उधार लेने वाला यह करार करता है कि बैंक द्वारा बीमा न कराए जाने के लिए बैंक उधार लेने वाले के प्रति उत्तरदायी/जवाबदेह नहीं होगा।
- ग) 'उक्त माल' या उसके किसी भाग को अग्नि या अन्यथा द्वारा हानि, विनाश या नुकसान होने की दशा में बैंक बीमा के अनुसार सभी धन वसूल करने और प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि बैंक किसी कारण से संदेय समस्त रकम प्राप्त नहीं कर पाता है तथा उधार लेने वाला बैंक को देय बकाया समस्त राशि का तत्काल संदाय करने के लिए आबद्ध होगा।
- घ) अंतिम पूर्वगामी खण्ड के अधीन वसूल की गई या प्राप्त की गई सभी धनराशियों का उपयोग या तो 'उक्त माल' की मरम्मत/प्रतिस्थापन/पुनः स्थापन के लिए या बैंक को देय बकाया के परिनिर्धारण और भुगतान के लिए किया जाएगा और यदि बीमा-धन का कोई भाग उपयुक्त रूप से उपयोग करने के पश्चात् भी बैंक के पास शेष रह जाता है तो बैंक उसका उपयोग ऐसी किसी अन्य रकम/रकमों के मद्दे करने का हकदार होगा, जो उधार लेने वाले द्वारा बैंक को किसी भी अन्य लेखे में देय हो। यदि उधार लेने वाले के विरुद्ध बैंक के सभी दावों का निपटारा करने के पश्चात् भी कोई रकम शेष रहती है तो वह शेष रकम उधार लेने वाले के व्ययनाधीन रहेगी किन्तु यदि बीमे से वसूल की गई रकम या रकमों में बैंक को देय बकाया और बैंक को देय यथा-पूर्वोक्त अन्य धनराशियों का भुगतान करने में भी पर्याप्त नहीं है तो उधार लेने वाला माँग किए जाने पर तुरन्त बैंक को इस कमी की पूर्ति करने का करार करता है।
- ङ) बैंक, बीमा पॉलिसी के अधीन या उसके संबंध में उद्भूत होने वाले बीमा कंपनी और उधार लेने वाले के बीच किसी विवाद का समायोजन, समझौता, तय कराने या माध्यस्थता को निर्दिष्ट करने का हकदार होगा और ऐसा समायोजन, बंदोबस्त, समझौता और ऐसे माध्यस्थता में किया गया अधिनिर्णय विधिमानी होगा और उधार लेने वाले पर आबद्धकर होगा। उधार लेने वाला, जब भी बैंक द्वारा अपेक्षा की जाए बैंक को बीमा दावे की रकम वसूल करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा।
- च) उधार लेने वाला किसी भी समय ऐसा प्रश्न नहीं उठाएगा कि यथास्थिति, ऐसे बंदोबस्त, समझौते या अधिनिर्णय के अधीन अधिक रकम प्राप्त की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी और वह बैंक को देय बकाया धनराशि के लिए अपने दायित्व के संबंध में विवाद करने का भी हकदार नहीं होगा।

9. सतत प्रतिभूति:

यह करार, अंतिम बकाया या कुल बकाया के लिए जो यथा-पूर्वोक्त खाते या खातों में ब्याज सहित संदेय होते हैं, सतत प्रतिभूति के रूप में प्रवृत्त रहेगा और उक्त खाता या खाते इस प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए बन्द खाता/खाते नहीं समझा/समझे जाने हैं और यह प्रतिभूति मात्र इस कारण समाप्त हो गई नहीं समझी जानी है कि उक्त खाता या खाते या उनमें से कोई किसी समय या समय-समय पर जमा खाते में लाए जाते हैं या उधार लेने वाले ने विभिन्न खातों के लिए मंजूरी की गई सीमाओं तक पूरी रकम निकाल ली है, यदि इसके पश्चात् जमा खाते में संदाय करके कोई खाता या खाते पुनः खोला/खोले जाता है/जाते हैं और यदि आवधिक उधार की समस्त रकम या बैंक के समस्त अप्रिमाओं का प्रतिसंदाय कर दिया गया है तथा संपूर्ण प्रतिभूति वापस ले ली जाती है, तो खाता या खाते या उनमें से कोई एक, ऐसे खाते या खातों के बन्द किए जाने के पूर्व किसी भी समय यथा-पूर्वोक्त प्रतिभूति फिर से दिए जाने पर इस करार के अधीन बने रहेंगे।

10. व्यतिक्रम की दशाएँ:

निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या अधिक घटना के होने की दशा में, अर्थात्

- क) यदि उधार लेने वाला, बैंक को देय ऐसे बकाया का, जिसका संदाय इसके द्वारा प्रतिभूत है, संदाय करने या इस करार में अंतर्विष्ट किसी शर्त या वचन का पालन करने में, जो उधार लेने वाले द्वारा पालन किया जाना है, व्यतिक्रम करता है;
- ख) यदि उधार लेने वाले द्वारा उधार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए दिए गए आवेदन में किए गए कोई अभ्यावेदन असत्य या मिथ्या पाए जाते हैं;
- ग) यदि उधार लेने वाला आवधिक उधार के मूलधन या ब्याज की किसी किस्त का प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करता है;
- घ) यदि उधार लेने वाली कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश किया जाता है या संकल्प पारित किया जाता है अथवा ऐसे परिसमापन के लिए याचिका फाइल की जाती है या ऐसा संकल्प पारित करने के लिए बैठक की सूचना जारी की जाती है;
- ङ) यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या दिवालिया अधिनिर्णीत किया जाता है या उधार लेने वाले के विरुद्ध दिवाला विषयक अर्जी फाइल की जाती है;
- च) यदि उधार लेने वाले का एक भागीदारी फर्म होने के कारण विघटन हो जाता है या विघटन के लिए सूचना जारी कर दी जाती है और/या उसका कोई भागीदार दिवालिया अधिनिर्णीत किया जाता है;
- छ) यदि उधार लेने वाला अपने लेनदारों के साथ प्रशमन-विलेख करता है;

Shivam

- b) If the Borrower fails to effect such insurance in time, the Bank may, but without being bound to do so, insure the "SAID GOODS" against any one or more the aforesaid risks as may be deemed necessary by the Bank in its discretion in such joint names and any premium and other charges paid by the Bank shall be paid by the Borrower. However, the Borrower agrees that for any non-insurance by the Bank, the Bank is not liable/answerable to the Borrower.
- c) In the event of loss, destruction by fire or otherwise or damage to the "SAID GOODS" or any part thereof, the Bank shall be entitled to recover and receive all moneys payable under the insurance. In the event of the Bank not receiving the entire amount payable for any reason whatsoever the Borrower shall be bound to pay forthwith the entire balance due to the Bank.
- d) All sums of money recovered or received under the last preceding clause may at the discretion of the Bank be applied either towards repairing/replacing/reinstating the "SAID GOODS" or be applied towards the liquidation and satisfaction of the balance due to the Bank and if any part of the insurance moneys shall remain in the hands of the Bank after such application as aforesaid, the Bank shall be entitled to apply the same towards any other sum/sums of money which may be due and owing by the Borrower to the Bank on any other account whatsoever. If after settlement of all claims of the Bank against the Borrower any surplus remains, such surplus shall remain at the disposal of the Borrower but if the sum or sums of money realized from the insurance be insufficient to cover the balance due to the Bank and other moneys due to the Bank as aforesaid the Borrower agrees forthwith to repay to the Bank the deficiency on demand.
- e) The Bank shall be entitled to adjust, settle, compromise or refer to arbitration any dispute between the insurance company and the Borrower arising under or in connection with the insurance policy and such adjustment, settlement, compromise and any award made on such arbitration shall be valid and binding on the Borrower. The Borrower shall as and when called upon by the Bank give all necessary assistance necessary to enable the Bank to recover the amount of insurance claim.
- f) The Borrower shall not at any time raise any question that a larger sum might or ought to have been received under such settlement, compromise or award as the case may be or be entitled to dispute its liability for the balance remaining due to the Bank.

9. Continuing Security:

That this Agreement is to operate as continuing security for the ultimate balance or aggregate balances with interest thereon to become payable upon the said account or accounts as aforesaid and the said account or accounts is/are not to be considered to be closed for the purpose of this security and the security is not to be considered exhausted merely by reason of the said account or accounts or either or any of them being brought to credit at any time or from time to time or of the Borrower having drawn to the full extent of the limits granted for respective accounts if afterwards an account or accounts is/are reopened by a payment to credit, and if the whole of term loan or the whole the Bank's advances shall be repaid and the whole of the security be withdrawn the account or accounts or either or any of them may nevertheless at any time before such account or accounts has or have been closed be continued under this Agreement as security as aforesaid being again furnished.

10. Events of Default:

In the event of one or more of the following events occurring, viz.,

- a) If the Borrower makes default in payment on demand of the balance due to the Bank, the payment whereof is hereby secured or in the performance or observance of any term or undertaking contained in this Agreement and on the part of the Borrower to be observed and performed;
- b) If any of the representations made by the Borrower in the application for granting Credit Facilities is found to be untrue or false;
- c) If the Borrower commits default in repayment of any instalment of the principal or interest in the Term Loan;
- d) If an Order is made or a resolution passed for the winding up of the Borrower or a Petition for such winding up is filed or notice of a meeting to pass such a resolution issued;
- e) If the Borrower shall become bankrupt or is adjudicated an insolvent or an insolvency petition is filed against the Borrower;
- f) If the Borrower being a partnership firm is dissolved or a notice for dissolution is issued and/or any of its partner or partners is/are adjudicated insolvent;
- g) If the Borrower enters into a composition with its creditors;

Shivam

request-98

- do so. insure the Bank in the event of any loss or damage to the property of the Bank or any part thereof. In the event of any loss or damage to the property of the Bank or any part thereof, the Bank shall be liable to pay the amount of such loss or damage to the extent of the amount of the property of the Bank or any part thereof which is not liable to be paid by the insurer or any other person. In the event of any loss or damage to the property of the Bank or any part thereof, the Bank shall be liable to pay the amount of such loss or damage to the extent of the amount of the property of the Bank or any part thereof which is not liable to be paid by the insurer or any other person.
- ज) यदि उधार लेने वाले की सभी संपत्तियों या उनके किसी भाग की बाबत रिसीवर नियुक्त किया जाता है;
- झ) यदि उधार लेने वाला कारबार चलाना बन्द कर देता है या बंद करने की धमकी देता है;
- ञ) यदि उधार लेने वाले के विरुद्ध कोई निष्पादन कार्यवाही या इसी प्रकार अन्य आदेशिका उद्गृहीत या जारी की जाती है;
- ट) यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो बैंक की राय में बैंक की प्रतिभूति के प्रतिकूल है या उसे संकट में डालती है या उससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या संकट उत्पन्न होने की संभावना है;
- ठ) विवरणों का प्रस्तुत न करनी;
- ड) यदि आडमानित माल बैंक की अनुज्ञा के बिना हटाया बेचा जाता है;
- ढ) यदि ऋण/सुविधा का अनुपयोजन किया जाता है।

उधार सुविधाओं के अधीन बकाया समस्त उधार/अग्रिम तुरन्त संदेय हो जाएगा और बैंक समस्त उधार सुविधाओं को वापस लेने और/या इसके द्वारा सृजित प्रतिभूति की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा। 'ख' 'ड' और 'ढ' के लिए तो बैंक उधार लेने वाले के विरुद्ध आपराधिक विधि के अधीन कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है।

11. बैंक के अधिकार:

- क) ऊपर वर्णित किसी भी घटना की दशा में, यदि बैंक प्रतिभूति की वसूली करने का विनिश्चय करता है तो बैंक के अधिकारी या बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी समय ऐसे परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेंगे, जहाँ "उक्त माल" हो सकता है और "उक्त माल" को कब्जे में ले सकेंगे और उसे कब्जे में बनाए रख सकेंगे तथा उधार लेने वाले को सूचना देकर या सूचना दिए बिना और किसी न्यायालय/पीठ के हस्तक्षेप के बिना "उक्त माल" को अभिगृहीत कर सकेंगे और प्रत्युद्धरण कर सकेंगे या ऐसे किसी स्थान या स्थानों पर जो बैंक उपयुक्त समझे, ले जा सकेंगे और उन प्रयोजनों के लिए उनमें से कोई ऐसे किसी स्थान/स्थानों को, जहाँ "उक्त माल" संस्थापित हो सकता है, पड़ा हो सकता या भंडारित हो सकता है, तोड़कर घुस सकेंगे। उधार लेने वाला, बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर बैंक या उसके नामनिर्देशित/नामनिर्देशितियों को "उक्त माल" को कब्जे और नियंत्रण में लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और इस प्रयोजन के लिए उधार लेने वाला सभी दस्तावेज बैंक को पृष्ठांकित या परिदत्त करेगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो बैंक अपेक्षा करे।
- ख) बैंक द्वारा उपरोक्तानुसार "उक्त माल" को कब्जे में लेने, अभिगृहीत और/या हटाने के पश्चात् उधार लेने वाला बैंक द्वारा माँग किए जाने पर समय-समय पर भंडारण के ऐसे स्थान या स्थानों की बाबत, जहाँ "उक्त माल" का भंडारण किया गया हो, प्रभार्य सभी किरायों का तुरन्त संदाय करेगा, चौकीदार, चपरामी या बैंक द्वारा नियोजित किन्हीं अन्य व्यक्तियों के वेतन और मजदूरी, बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उन्हें कार्यान्वित करते हुए बैंक द्वारा उपगत या संदत्त या प्रभार्य अन्य सभी प्रभारों, खर्चों और व्ययों का भी तुरन्त संदाय करेगा।
- ग) इस प्रकार कब्जे में लिए गए "उक्त माल" या उसके किसी भाग को "जैसा और जिस हालात में है" लोक नीलामी या प्राइवेट समझौते द्वारा बेचा जा सकेगा और/या अन्यथा उसका व्ययन किया जा सकेगा, जैसा बैंक उचित समझे। बैंक, विक्रय आगमों में से बैंक की शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में उपगत या संदत्त या प्रभार्य सभी या किसी व्यय को काटने या समायोजित करने का हकदार होगा और बैंक शुद्ध विक्रय आगम का इस प्रकार के अधीन बैंक को देय बकाया मद्दे समायोजन करने का हकदार होगा और बैंक किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुए बिना या उसके प्रयोग में उपगत किसी हानि के लिए दायी हुए बिना तथा बैंक के अधिकारों और वाद संबंधी उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपरकथित अधिकारों में से किसी अधिकार को प्रवृत्त करने, वसूल करने, बंदोबस्त करने, समझौता करने, उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

मुजरा करने/साधारण धारणाधिकार/विनियोजन का अधिकार:

- (घ) बैंक को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह उधार लेने वाले के खाते में बैंक के पास बकाया किसी अन्य रकम या रकमों को बैंक को तत्समय देय बकाया का संदाय करने में या उसके मद्दे उपयोग में लाए और बैंक के पास यथापूर्वोक्त ऐसी रकम या रकमों के न होने की दशा में या ऐसी रकम या रकमों के उस बकाया का पूर्ण रूप से उन्मोचन करने के लिए अपर्याप्त होने की दशा में, उधार लेने वाला यह वचन देता है और करार करता है कि वह इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से तैयार और हस्ताक्षरित लेखा के प्रस्तुत किए जाने पर उस बकाया रकम का, जो उधार लेने वाले से देय प्रतीत हो, तुरन्त संदाय करेगा, परन्तु सदैव यह कि इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह, इस बात के होते हुए भी सभी "उक्त माल" या उसमें से किसी माल की किसी भी कारण से वसूली न हुई हो, बैंक के उस अधिकार को (जिसके बारे में यहाँ स्पष्ट करार किया जाता है कि वह बैंक को प्राप्त है) अर्थहीन, सीमित या अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जिसके द्वारा वह उधार लेने वाले से वह रकम वसूल कर सकता है जो बैंक द्वारा उधार लेने वाले के उक्त खाते या खातों में उससे तत्समय देय है।

Shivam

- h) If a Receiver is appointed for all or any part of the property of the Borrower;
- i) If the Borrower ceases or threatens to cease to carry on business;
- j) If any execution or other similar process is levied or issued against the Borrower;
- k) If any circumstances shall occur which in the opinion of the Bank is prejudicial or imperils or is likely to prejudice or imperil the security of the Bank;
- l) Non-submission of statements;
- m) If hypothecated goods are moved/sold without the permission of the Bank;
- n) If the loan/facility is misutilised.

The entire loan/advance outstanding under the Credit Facilities shall forthwith become payable and the Bank shall be at liberty to recall the entire credit facilities and/or to realize the security hereby created. For 'b', 'm' and 'n' the Bank is also at liberty to proceed against the Borrower under criminal law.

11. Rights of the Bank:

- a) That on the happening of any of the events stated above, if the Bank decides for realization of security, the Bank's Official/s or any person authorized by the Bank may at any time/s, enter the premises or place where the "SAID GOODS" may be and take & retain possession of the "SAID GOODS" and seize and recover or remove the "SAID GOODS" to any place or places as the Bank shall think fit with or without notice to the Borrower without intervention of any Court/Forum and for those purpose or any of them break open any place/s where the "SAID GOODS" may be installed, lying or stored. The Borrower shall on being required by the Bank take all steps necessary to give to the Bank or its nominee/s possession and control of the "SAID GOODS" and for that purpose the Borrower shall endorse or deliver to the Bank all documents and do all such acts and things as may be required by the Bank.
- b) After the Bank shall have taken possession of, seized and/or removed the "SAID GOODS" as aforesaid, the Borrower shall from time to time on demand by the Bank forthwith pay all rents chargeable in respect of any place or places of storage where the "SAID GOODS" shall have been stored, salary and wages of watchmen, peons or any other persons employed by the Bank and all other charges, costs and expenses incurred or paid or chargeable by the Bank in the exercise of and give effect to the powers vested in the Bank.
- c) The "SAID GOODS" thus taken possession of or any part thereof may be sold by public auction or private treaty and/or otherwise disposed of as the Bank may deem fit "in as is where is condition." The Bank shall be entitled to deduct and appropriate from the sale proceeds all or any expenses incurred or paid or chargeable in connection with the exercise of the powers of the Bank and the Bank will be entitled to appropriate the net sale proceeds towards the balance due to the Bank under this agreement and the Bank shall also be at liberty to enforce, realise, settle, compromise, deal with any of the rights aforesaid without being bound to exercise any of the powers or being liable for any loss incurred in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit.

Right of set-off/General Lien/Appropriation:

- d) That the Bank shall be at liberty to apply any other money or monies in the hands of the Bank standing to the credit of or belonging to the Borrower in or towards payment of the balance for the time being due to the Bank and in the event of there not being any such money or monies as aforesaid in the hands of the bank, or in the event of such money or monies being still insufficient for the discharge in full of such balance, the Borrower promises and agrees forthwith, on production of an account prepared and signed as hereinafter provided, to pay any further balance which may appear to be due by the Borrower thereon PROVIDED ALWAYS that nothing herein contained shall be deemed to negate, qualify or otherwise prejudicially affect the right of the Bank (which it is hereby expressly agreed the Bank shall have) to recover from the Borrower the balance for the time being remaining due from the Borrower to the Bank upon the said Account or Accounts notwithstanding that all or any of the said "SAID GOODS" may not have been realised for any reason whatsoever.

Shivam

- इ) बैंक को देय बकाया का पूर्ण रूप से संदाय करने के पश्चात् ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम में से अधिशेष रकम उपलब्ध होने की दशा में, बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त अधिशेष और ऐसी किसी राशि या राशियों का, जो बैंक के पास किसी भी खाते में तत्समय उधार लेने वाले की है, जहाँ तक वे उसके लिए विस्तारित है, प्रतिधारित करे और उसका उपयोग ऐसी सभी या किन्हीं राशियों के संदाय या परिनिर्धारण के लिए करे जो उधार लेने वाले से एकल रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म या कंपनी के साथ संयुक्त रूप से बैंक को उधारों, बट्टे पर भुनाए गए बिलों, प्रत्यय-पत्र, गारंटियों, प्रभार के रूप में या किसी अन्य ऋण या दायित्व के रूप में देय होती है, जिसके अंतर्गत बिल, नोट, प्रत्यय और अन्य ऐसी बाध्यताएँ जो विद्यमान है किन्तु देय या संदेय नहीं है या अन्य माँग, विधिक या साम्यापूर्ण, जो बैंक उधार लेने वाले के विरुद्ध कर सकता है, भी है, चाहे उधार लेने वाला दिवालिया हो गया हो या दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया हो या परिसमापनाधीन हो या अन्यथा और उन पर उस तारीख से, जिसको उसकी बाबत कोई अग्रिम दिया गया हो, उस दर पर या ऐसी दरों पर व्याज संदेय होगा जिस पर वे अग्रिम उधार दिए गए हों।
- च) बैंक, ऊपर दिए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसमें सृजित प्रतिभूति के संबंध में बैंक में निहित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई रिसीवर, प्रबंधक या अन्य व्यक्ति नियुक्त करने का हकदार होगा और उधार लेने वाले से ऐसे रिसीवर, प्रबंधक या अन्य व्यक्ति के पारिश्रमिक और/या अनुकल्पी प्रभार वसूल करने और प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक, सभी कार्यों, व्यतिक्रमों, उपेक्षा और गलतियों की बाबत (चाहे वे कारबार के सामान्य अनुक्रम में या अन्यथा ऐसे रिसीवर, प्रबंधक या व्यक्ति के कारण उद्भूत हों) क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगा और उधार लेने वाले द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने और क्षतिपूर्ति रखे जाने का हकदार होगा।
- छ) उधार लेने वाला बैंक की बहियों से तैयार और बैंक के लेखाकार या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखा-विवरण के अर्थात् उधार लेने वाले से बैंक द्वारा दावाकृत शोध्य किसी रकम की सत्यता को, किसी अन्य वाउचर, दस्तावेज या कागज को प्रस्तुत किए गए निश्चायक सबूत मानने का करार करता है। उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उपचित किन्तु खाते/खातों में नामे न डाली गई रकम का प्रतिसंदाय करेगा।
- ज) इस विलेख के अधीन किसी व्यतिक्रम के कारण बैंक या उसके प्रतिनिधियों/अभिकर्ताओं को उपगत किसी अधिकार, शक्ति या उपचार का प्रयोग करने में हुए विलंब या लोप से बैंक के किन्हीं अधिकारों/उपचारों/शक्तियों का ह्रास नहीं होगा न ही उनका अर्थान्वयन उनके अधित्यजन या ऐसे व्यतिक्रम में किसी उपमति के रूप में किया जाएगा और न ही किसी व्यतिक्रम की बाबत बैंक द्वारा कार्यवाही करने या कार्यवाही न करने से किसी अन्य व्यतिक्रम की बाबत बैंक के किसी अधिकार/शक्ति या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उसका ह्रास होगा।

प्रकटन:

12. क) उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि यदि उधार लेने वाला उधार सुविधाओं के प्रतिसंदाय में या नियत तारीख/तारीखों को उस पर देय व्याज का प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक को उधार लेने वाले या उसके निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी का नाम ऐसी रीति में और ऐसे माध्यम से जो बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अपने आत्यंतिक विवेकानुसार ठीक समझे; प्रकट या प्रकाशित करने का विना शर्त अधिकार होगा। बैंक भी अग्रिमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय, निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम या किसी कानूनी और अन्य प्राधिकरण को, जो आवश्यक समझे जाए सूचना उपलब्ध करा सकेगा।
- ख) उधार लेने वाले को दी गई कोई सूचना या की गई माँग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से दी गई या की गई है। यदि वह उधार लेने वाले या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उधार लेने वाला गठित करता है, व्यक्तिगत रूप से दी जाती है या उधार लेने वाले के कारबार या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर छोड़ी जाती है या उधार लेने वाले या यथापूर्ववत किसी ऐसे व्यक्ति को डाक द्वारा भेजी जाती है और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है तो ऐसी सूचना उस समय दी गई समझी जाएगी जब वह डाक के सम्यक् अनुक्रम में परिदत्त की जाएगी और यह समवेत करने के लिए कि वह डाक द्वारा कब भेजी गई थी, उस लिफाफे को साबित करना ही पर्याप्त होगा जिसमें इस प्रकार डाक द्वारा भेजी गई सूचना हो और बैंक के प्रबंधक या अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण-पत्र निश्चायक होगा कि लिफाफे को इस प्रकार डाक द्वारा भेजा गया था।

अन्य खण्ड:

13. उधार लेने वाले या बैंक के गठन में हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन से (चाहे समामेलन द्वारा या अन्यथा) इसमें उधार लेने वाले के दायित्व का ह्रास या उन्मोचन नहीं होगा।
14. उधार लेने वाला यह वचन देता है कि वह अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की सूचना बैंक को देगा और उसके ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, यह पर्याप्त होगा यदि बैंक उधार लेने वाले के अंतिम ज्ञात पते पर संसूचना के नोटिस की तामील करता है।
15. इस करार के साधारण निबंधनों और शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधार लेने वाला, एतद्द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ माल के नकदी उधार (आडमान) के संबंध में विनिर्दिष्ट निबंधनों के बारे में निम्नलिखित रूप में सम्मति देता है:

- क) उधार लेने वाला बैंक द्वारा यथा-नियत नियमित अंतराल पर स्टॉक/वही-ऋण विवरण प्रस्तुत करेगा और नियत मार्जिन भी बनाए रखेगा।
- ख) "उक्त माल" का विक्रय या व्ययन बैंक द्वारा जो नीलामी या निविदाएँ मँगाकर जैसा और जिस हाल में आधार पर उधार लेने वाले के दायित्व में कमी करने के मद्दे किया जाएगा।

Shivam

- e) That in the event of there being a surplus available of the net proceeds of such sale after payment in full of the balance due to the Bank it shall be lawful for the Bank to retain and apply the said surplus together with any other money or monies belonging to the Borrower for the time being in the hands of the Bank in or under whatever account as far as the same shall extend against in or towards payment or liquidation of any and all other monies which shall be or may become due from the Borrower whether solely or jointly with any other person or persons, firm or company to the Bank by way of Loans, Discounted Bills, Letter of Credit, Guarantees, Charges or of any other debt or liability including Bills, Notes, Credits and other obligations current though not then due or payable or other demands, legal or equitable which the Bank may have against the Borrower whether the Borrower shall become or be adjudicated bankrupt or insolvent or be in liquidation or otherwise, and interest thereon from the date on which any advance/advances in respect thereof shall have been made at the rate or respective rates at which the same shall have been so advanced.
- f) Without prejudice to the provisions given above, the Bank shall be entitled to appoint any Receiver, Manager or other person to exercise all or any of the powers hereby vested in the Bank with reference to the security hereby created and shall be entitled to recover and receive from the Borrower the remuneration and/or alternatively charges of such Receiver, Manager or other person. The Bank shall not be liable and shall be entitled to be indemnified and kept indemnified by the Borrower for and in respect of all acts, defaults, negligence and mistakes (whether arising in the usual course of business or otherwise of any such Receiver, Manager or person).
- g) That the Borrower agrees to accept as conclusive proof the correctness of any sum claimed to be due from the Borrower to the Bank under this Deed statement of account made out from the books of the Bank and signed by duly authorised officer of the Bank or as per statement generated by any mechanical / electronic device etc. without the production of any other voucher, document or paper. The Borrower also agrees to repay the amount accrued but not debited to the account/s.
- h) Delay in exercising or omission to exercise any right, power or remedy accruing to the Bank or its representatives/agents, upon any default under this Deed shall not impair any of the Bank's rights/remedies/powers nor shall be construed to be a waiver thereof or any acquiescence in such default nor shall the action or inaction of the Bank in respect of any default, affect or impair any right/power or remedy of the Bank in respect of any other default.

Disclosure:

12. a) The Borrower hereby further agrees that in case the Borrower commits default in the repayment of the credit facilities in the repayment of interest thereon on due date/s, the Bank and/of Reserve Bank of India will have an unqualified right to disclose or publish the name of the Borrower or its directors/partners/proprietor as defaulter in such manner and through such medium as the Bank or Reserve Bank of India in their absolute discretion may think fit. The Bank may as well provide information about the advances to Reserve Bank of India, Enforcement Directorate, Export Credit Guarantee Corporation or any Statutory and other Authorities as may be deemed necessary.
- b) Any notice or demand to be given or made to Borrower shall be deemed to have been duly given or made if addressed to the Borrower or any of the individuals constituting the Borrower personally or may be left at the last known place of business or residence of the Borrower or may be sent by post to the Borrower or any of such individuals as aforesaid and if sent by post such notice shall be deemed to have been given at the time when it would be delivered in due course of post and in proving such notice when given by post it shall be sufficient to prove the envelope containing the notice so posted and a certificate signed by the Bank's Manager or agent that the envelope was so posted shall be conclusive.

Other Clauses:

13. No changes whatsoever that may take place in the constitution of the Borrower or Bank (Whether by amalgamation or otherwise) shall impair or discharge the liability of the Borrower hereunder.
14. The Borrower hereby undertakes to intimate to the Bank any change in their address/es and in the event of their failure to do so, it will be sufficient if the Bank serves a notice of communication to the last known address of the Borrower.
15. Without prejudice to the general terms and conditions in this Agreement, the Borrower hereby consents inter alia for the specific terms with regard to the Cash Credit (hypothecation) of goods as under:
- a) That the Borrower shall submit stocks/book debts statement to the Bank at regular intervals as stipulated by the Bank and also to maintain stipulated margin.
- b) That the "SAID GOODS" shall be sold or disposed of by the Bank in as is where is condition by Public Auction or by calling for Tenders towards reduction of the Borrower's liability.

Wam

16. बैंक स्वविवेकानुसार, उधार लेने वाले को इस विलेख के निबंधनों के अधीन बैंक की किसी अन्य शाखा तक विस्तारित वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगा और/या उधार खाता या किसी अन्य प्रत्यय सुविधा को पूर्णतः या भागतः ऐसी अन्य शाखा को अंतरित करेगा और उधार लेने वाले द्वारा ऐसी वित्तीय सुविधा का उपभोग या बैंक की ऐसी अन्य शाखा को उधार खाते का अंतरण भी इस विलेख के अधीन करार किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा।

इसमें या किसी अन्य दस्तावेज या उधार लेने वाले द्वारा लिखित में दिए गए अनुदेशों में किसी बात के होते हुए भी, उधार लेने वाले द्वारा किया गया प्रतिसंदाय या बैंक द्वारा आवधिक उधार या किसी अन्य उधार सुविधा के प्रतिसंदाय मद्दे वसूल की गई/प्राप्त की गई/वापस ली गई रकम बैंक के आंत्यंतिक विवेकानुसार निम्नलिखित प्रकार से विनियोजित की जाएगी:

प्रथमतः, बैंक द्वारा उपगत खर्च/व्यय की प्रतिपूर्ति मद्दे;

द्वितीयतः, बकाया ब्याज मद्दे, चाहे नामे डाला गया हो या नहीं;

और अंततः मूलधन मद्दे।

17. बैंक, इस करार के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अपने अनन्य विवेकाधिकार से उधार लेनेवाले के अनुरोध पर संपूर्ण मंजूरी सीमाओं के भीतर उधार लेनेवाले की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बिक्री-पूर्व/बिक्री-पश्चात् सीमाओं में अंतर्बदलीकरण कर सकेगा।
18. उधारकर्ता करार करता है कि प्रत्याभूतिदाता और/या सह उधारकर्ता द्वारा किया गया कोई भी संदाय/अभिबंधन/अभिरवीकृति इत्यादि विधिमान्य है और उधारकर्ता पर बाध्यकारी है।

19. क) उधारकर्ता इसके द्वारा आगे यह करार करता है कि बैंक किसी योजना में शामिल हो सकेगा और/या बैंक उधारकर्ता की कोई जानकारी दे सकेगा और/या ऋण या इस विलेख के फायदे और प्रतिभूति दस्तावेज किसी सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं या पक्षकारों के पक्ष में ऐसी संस्थाओं से या पक्षकारों से बैंक द्वारा प्राप्त किसी पुनः वित्तपोषण साहायिकी, पुनः मितिकाटा या उधार गारंटी के लिए या किसी अन्य कारण के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित कर सकेगा और उधारकर्ता अपने व्यय पर दस्तावेज निष्पादित करेगा और समनुदेशन को प्रभावी करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए सभी कार्य, काम करेगा या आप्वासन देगा। यह भी करार किया जाता है कि यह अग्रिम पूर्वोक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-निर्देशों/अनुदेशों द्वारा भी शासित होगा और उधारकर्ता बैंक से सूचना के बिना भी ऐसे निबंधनों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत है।

- ख) 1) उधारकर्ता समझता है कि उसे ऋणों/अग्रिमों/अन्य गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं की मंजूरी करने के संबंध में एक पूर्व शर्त के रूप में बैंक द्वारा उससे संबंधित सूचना और आंकड़े का, उसके द्वारा ली गई/ली जानेवाली उधार सुविधा का, उनके संबंध में उसके द्वारा गृहीत/ग्रहण की जानेवाली बाध्यताओं का और उनके निर्मोचन में उसके द्वारा किए गए व्यतिक्रम का बैंक द्वारा प्रकटीकरण करने हेतु उसकी सहमति है।

- 2) तदनुसार वह एतद्द्वारा करार करता है और बैंक द्वारा निम्नलिखित सभी का या किसी एक का प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है :

क) उससे संबंधित सूचना और आंकड़ा.

ख) उसके द्वारा ली गई/ली जानेवाली किसी उधार सुविधा से संबंधित सूचना या आंकड़ा.

ग) उसकी ऐसी बाध्यता के निर्वहन में उसके द्वारा किया गया व्यतिक्रम, यदि कोई हो.

जिसे कि बैंक क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरण को प्रकट करना और प्रस्तुत करना उपयुक्त और आवश्यक समझे।

- 3) वह यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा बैंक को प्रस्तुत सूचना और आंकड़ा सत्य और सही है।

- 4) वह बचन देता है कि:

क) क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस तरह से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकरण बैंक द्वारा प्रकट की गई कथित सूचना आंकड़ा का प्रयोग, उनके द्वारा उचित समझी गई रीति से संसाधन कर सकेगा; और

ख) क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड या ऐसे प्राधिकृत कोई अन्य अधिकरण संसाधित सूचना और आंकड़ा या उनके द्वारा उससे तैयार किए गए उत्पाद बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या अन्य उधार मंजूरकर्ताओं को, जिन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिफल के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

Shivam

16. The Bank may at its discretion make available to the Borrower, the financial facility extended under terms of these presents, at any other branch of the Bank and/or transfer the loan account or any other credit facilities to such other branch, fully or partly, and avilment of such financial facility by the Borrower at or transfer of the loan account to such other branch of the Bank shall also be on the terms and conditions agreed to under these presents.

Notwithstanding anything contained herein or in any other documents or instructions in writing by the Borrower, the repayment made by the Borrower or amount realized/received/recovered by the Bank towards repayment of the Term Loan or any other credit facilities shall be appropriated at the absolute discretion of the Bank as under:

Firstly towards the reimbursement of the cost/expenses incurred by the Bank;

Secondly, towards interest in arrears, whether debited or not;

And Lastly, towards the principal amount.

17. The Bank may at its sole discretion, subject to the terms and conditions of this agreement, make available to the borrower at his request, within the overall sanction limits, interchangeability in pre/post sales limits to suit specific needs of the borrower.
18. The Borrower agrees that any payments/commitments/acknowledgements etc., made by Surety and/ or Co-borrower is valid and binding on the Borrower as Agents of the Borrower.
19. a) The Borrower hereby further agrees that the Bank may join any scheme and/or furnish any information of the Borrower and/or assign the debt or the benefit of these presents and the security documents in favour of any Government, Industrial Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of India or other Financial Institutions or party/ies as security for any refinance/subsidy, rediscount or credit guarantee obtained by the Bank from such institutions or party/ies or for any other reasons and the Borrower shall at his expense execute documents and do all acts, deeds or assurances for the effectuation of assignment or for any other purpose. It is also agreed that this advance shall also be governed by guidelines/instructions issued from time to time by the aforesaid Financial Institutions and the Borrower agrees to be bound by such terms even without notice from the Bank.
- b) 1) The Borrower understands that as a pre condition, relating to grant of the loans/advances/other non-fund-based credit facilities to him the bank, requires his consent for the disclosure by the bank of, information and data relating to him of the credit facility availed of/to be availed, by him, obligations assumed/to be assumed, by him in relation thereto and default, if any, committed by him in discharge thereof.
- 2) Accordingly he hereby agrees and gives consent for the disclosure by the Bank of all or any such;
- a) information and data relating to him.
 - b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed by him. and
 - c) default, if any, committed by him in discharge of his such obligation.
- as the bank may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency authorised in this behalf by RBI.
- 3) He declares that the information and data furnished by him to the Bank are true and correct.
- 4) He undertakes that:
- a) the Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency so authorized may use, process the said information and data disclosed by the bank in the manner as deemed fit by them; and
 - b) the Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other agency so authorized may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to banks/ financial institutions and other credit grantors, as may be specified by the Reserve Bank in this behalf.

Shivam

अनुसूची - I (निर्माण अनुसूची) SCHEDULE - I (Release Schedule)

request-98

सुविधा का स्वरूप Nature of Facility	सीमा (रुपये) Limit (Rupees)	ब्याज-दर Rate of Interest	प्रतिभूति का मार्जिन Margin of Security
1. ओवरड्राफ्ट खाता (खोला जानेवाला) 1. Overdraft a/c (To be opened)			निर्धारित सीमा/आहरण शक्ति तक खाते के परिचालन द्वारा। By operation of account upto the limit/drawing power fixed.
2. अन्य सुविधाएं 2. Other facilities			

Direct to Dealer

अनुसूची - II (प्रतिसंदाय)/SCHEDULE - II (Repayment).

ओवरड्राफ्ट/नकदी उधार के लिए उसके तेजी से परिचालन द्वारा और कम से कम वर्ष में एक बार उसे
जमा-शेष में लाने और वर्ष की समाप्ति पर समय पर उसे बन्द करके
For OD/Cash Credit by operating it briskly to the extent of limit/drawing power fixed
and bring it to credit at least once a year and closing it in time by the end of one year.

अन्य सुविधाओं के लिए निम्नलिखित रूप में प्रतिसंदाय
For other facilities repayable as under:

*Records of Loan to be repaid in 12
equated monthly instalment of
Re. 5938 each the first of such
falls due on 30/9/14 the remaining
amount, if any may be liquidated
with the last instalment so as to
close the A/c on or before
31.12.14*

Shivam

अनुसूची - III / SCHEDULE - III

भाग - क / Part - A

मशीनरी और वाहनों आदि से भिन्न ऐसे माल का ब्यौरा जिसे प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया है
Details of Goods offered as security other than machinery & vehicles etc.

माल के विवरण Particulars of Goods	दुकान/गोदाम परिसर सं. मार्ग आदि Shop/ Godown Premises No., Street etc.

भाग - ख / Part - B

आडमानित मशीनरी, वाहनों, उपभोक्ता वस्तुओं का सविस्तर ब्यौरा, जैसे मेक और वर्ष, मॉडल, पहचान चिह्न, ईंजन सं., चैसिस सं., कीमत आदि Description of the machinery/vehicles, consumer items hypothecated with details such as Make and Year, Model, Identification Marks, Engine No., Chassis No., Price etc.

और ऐसे सभी अन्य माल, संपत्तियाँ और मशीनरी जो उधार लेने वाले द्वारा इस करार के निष्पादन के पश्चात् और उसके चालू रहने के दौरान लाई जाती हैं और उपर्युक्त परिसरों में भंडारित/रोपित और फिट की जाती है।

And also such other goods, properties and machinery that may be brought into by the Borrower/s and stored/ planted and fitted in the premises aforesaid after execution of this agreement and during its currency.

भाग - ग / Part - C

विद्यमान मशीनरी की अनुसूची / Schedule of Existing Machineries

वर्णन / Description	अवस्थान / Location

Shivam

भाग - घ/Part - D

अन्य प्रतिभूतियों, जैसे जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों, यूनिटों, जमा रसीदों आदि की अनुसूची
Schedule of Other Securities, like LIC Policies, Units, Deposit Receipts, etc.,

request-98

प्रतिभूतियों का प्रकार और निर्गमकर्ता Type of Securities and issued by	सुभिन्न सं./प्रमाणपत्र सं. Distinctive No.s/Certificate No.s	प्रतिभूति/प्रतिभूतियों का/के मूल्य Value of the Security/ies

इस उधार/ओवरड्राफ्ट से संबंधित नियम और इस दस्तावेज को भरने के पश्चात् इसकी अंतर्वस्तु मुझे/हमें उस भाषा में पढ़कर सुनाई गई है और स्पष्ट की गई है जो भाषा मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं और मैं/हम बैंक के उन नियमों से आबद्ध होने का करार करता हूँ/करते हैं, जो इस समय प्रवृत्त हैं और जो समय-समय पर मुझे/हमें और कोई नोटिस दिए बिना संशोधित किए जाएंगे।


The rules governing this loan/overdraft and the contents of this document after duly filled in, have been read over and explained to me/us in a language known to me/us and I/we hereby agree to be bound by the rules of the Bank now in force and as amended from time to time, without any further notice to me/us.

एक से अधिक व्यक्तियों या किसी निकाय द्वारा निष्पादित किए जाने की स्थिति में एक वचन का संदर्भ बहुवचन से है और पुल्लिंग के संदर्भ में स्त्रीलिंग भी है।

Reference to singular includes plural if executed by more than one person or a body and male gender includes female gender.

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने इस करार पर तारीख 20..... को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

IN WITNESS WHEREOF the Borrower has/have signed this Agreement at Barnawa, Karnal on the 4th day of Aug. 2009.



उधार लेने वाला/लेने वाले
Borrower/s

उधारकर्ता पृष्ठ 16 तक केवल हिन्दी पृष्ठों पर या केवल अंग्रेजी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर सकता है/सकते हैं और पृष्ठ 17 से 19 तक सभी पृष्ठों पर भी हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।

Borrower/s can sign either Hindi pages only or English pages only upto page 16 and must sign page 17 to 19 also.

दोनों पाठों के बीच विसंगति होने पर अंग्रेजी पाठ हिन्दी पाठ पर अभिभावी होगा।

In case of any discrepancy between the two versions, English version will prevail over Hindi version.





Brij Motors Private Limited.

(The Rami Group)

Corp. Off. : 34/2, Lakhan Pur, National Highway, Agra, 7. Tel. Customer Care : 2640301-6
ALIGARH -- 6th K.M. Bhukrawali, G.T. Road, Aligarh. Tel. : 0571-2403677, 2406622

request-28

Retail Invoice

CST No. : AG 5400234	CST Date : 05/05/1996
LST/TIN No. : 09502103323	LST/TIN Date : 01/05/1998
Customer Name : Ms. SHIVANI VERMA	Customer Id : C2009070171
Address : J-10, JUDGES COMPOUND MALKHAN NAGAR ALIGARH Uttarpradesh 202001	Invoice No : H200900156 Invoice date : 07/08/2009
Financed by : Syndicate Bank Baradwari Aligarh	

PARTICULARS	AMOUNT (Rs)
1) Price of One 110 * ERA 1.1 imm E3 Crystal White	327,533
2) Discount	- 3,524
3) Net Selling Price	324,009
4) VAT/LST 13.500 %	43,741
5) Other Charges	0
TOTAL	367,750

Rupees Three Lakhs Sixty Seven Thousand Seven Hundred Fifty Only

Vehicle Particulars

VIN No MALAM51BR9M383606	Chassis No MALAM51BR9M383606*F	Engine No G4HG9M812387	Key No P0079
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------

* ARAI Certified Fuel Mileage . Kmpl

For BRIJ MOTORS PVT LTD

Shivani
Signature of Customer

[Signature]
Brij Motors Pvt. Ltd.
ISO 9001:2000 Dealership
6th Km. Bhukrawali, G.T. Road, Aligarh-202001
Authorized Signatory 06622, 2406622

request-98

कृपया पैन कार्ड नम्बर लिखें

CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES 1989
FORM 23 (See Rule 48)

Certificate of Registration

REGISTRATION No. U.P. 811 AB-5841

Brief Description of Vehicle..... 110 M/car
Name of Owner..... Ms. Shivan. Varma
D/o Sh. Shiv. Kr. Varma
J-10, Judges compound, Malkhan
Nagar, Aligarh

Date..... 21/8/24

Registering Authority
M.V. DEPTT. ALIGARH
मोटर वाहन विभाग

- Class of vehicle: The Motor vehicle is
A New vehicle, Ex-Army vehicle, Imported Vehicle, Migration :
- Maker's Name..... H.M. 149
- Type of Body..... Saloon
- Month & Year of Manufacture..... 2009
- No. of Cylinder..... 4
- Chassis No. MALAM 51BR 9M 383600
- Engine No. G4H4817012301
- Fule used in the Engine : PETROL / DIESEL
- H. P. (B.H.P.)..... 1085
- Cubic Capacity.....
- Maker's Classification.....
- Wheel Base.....
- Seating Capacity..... 5
- Unladen Wgiet..... 980kg
- Colours or Colour of Body wings & front and additional Particulare in the case of transport Vehicle other than motor cabs.....
- Gross Vehicle Weight :
(a) as Certified by the Manufactures.....
(b) as Registered.....
- Number Description & Size of type :
(a) Front Axle.....
(b) Any other Axle.....
(c) Rear Axle.....
(d) Tandam Axle.....
- Registered Axle Weight :
(a) Front Axle..... Kgs
(b) Rear Axle..... Kgs
(c) Any other Axle..... Kgs
(d) Tandam Axle..... Kgs
- Additional particulars of alternative or additional or semi-trailers registered with an particulated Vehicle :
- Type of Body.....
- Number, Description & size of Tyres (each axle)..... Kgs.
- Registered Axle Weight (in respect of each axle)..... Kgs.

COPIES

Specimen Signature of the Registered Owner
pasted and attached by the Registered Authority

This certificate is valid from 21/8/24 to 20/8/2024

1. Hire Purchase Agreement M/s..... Syndicate Bank, Benares
Agg

U.P. 811 AB-5041

FINAL ONE TIME ROAD TAX

Rs. 9205/- Paid on 21/8

Vide R.No. 820781

A.R.T.O. Office, Aligarh

Taxation officer, Aligarh

Registering Authority
M.V. DEPTT. ALIGARH

request-gs

कृपया पैन कार्ड नम्बर लिखें

CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES 1989
FORM 23 (See Rule 48)

Certificate of Registration

REGISTRRTION No. U.P. 81/AB-5841

Brief Description of Vehicle..... 110 M/car
Name of Owner..... Ms. Shivani Vams
D/o Sh. Shiv kr. Vams
T-10, Judges compound, Malkhau
Nagar, Aligarh

Date..... 21/8/24

Registering Authority
M.V. DEPTT. ALIGARH
मोटर वाहन विभाग

- Class of vehicle: The Motor vehicle is
A New vehicle, Ex-Army vehicle, Imported Vehicle, Migration :
- Maker's Name..... H.M. 149
- Type of Body..... Saloon
- Month & Year of Manufacture..... 2009
- No. of Cylinder..... 4
- Chassis No. MALAM 51BR 9M 383600
- Engine No. G4H4917812301
- Fule used in the Engine : PETROL / DIESEL
- H. P. (B.H.P.)..... 1085
- Cubic Capacity.....
- Maker's Classification.....
- Wheel Base.....
- Seating Capacity..... 5
- Unladen Wgiet..... 950kg
- Colours or Colour of Body wings & front and additional Particulare in the case of transport Vehicle other than motor cabs.....
- Gross Vehicle Weight :
(a) as Certified by the Manufactures.....
(b) as Registered.....
- Number Description & Size of type :
(a) Front Axle.....
(b) Any other Axle.....
(c) Rear Axle.....
(d) Tandam Axle.....
- Registered Axle Weight
(a) Front Axle..... Kgs
(b) Rear Axle..... Kgs.
(c) Any other Axle..... Kgs
(d) Tandam Axle..... Kgs.
- Additional particulars of alternative or additional or semi-trailers registered with an particulated Vehicle :
- Type of Body.....
- Unlanden Weight :.....
- Number, Description & size of Tyres (each axle)..... Kgs.
- Registered Axle Weight (in respect of each axle)..... Kgs.

Specimen Signature of the Registered Owner
pasted and attached by the Registered Authority

This certificate is valid from..... 21/8/24 to..... 20/8/2024

1. Hire Purchase Agreement M/s..... Syndicate Bank Beneluden
Ag

U.P. 81/AB-5041
FINAL ONE TIME ROAD TAX
Rs. 9205/- Paid on 21/8
Vide R No. 82075
A.R.T.O. Office, Aligarh
Taxation officer, Aligarh

Registering Authority
M.V. DEPTT. ALIGARH